

प्रक्रिया : अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण

01

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) एवं भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) करना और अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर उनका पंजीकरण करना।

02

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज को अपलोड करना (अनुसूची VI भाग-3)।

03

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करना।

04

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पोर्टल पर पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करना (अनुसूची XXI)

05

राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) द्वारा आवेदन का फिर से सत्यापन करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।

06

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनुमोदन-पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना और उसे अपलोड करना।

07

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5 / 17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।

08

भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा (जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से) दत्तक-ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग-3 और अनुसूची XXXI)।

09

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)

10

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और पुष्टि प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) जारी करना।

11

बच्चे के लिए पासपोर्ट और निकासी वीजा।



संदर्भ: दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 56 से 60

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>

PROCEDURE : INTER-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

01 Home Study & Registration of NRI & OCI PAPs by AFAA/CA/IDM

AFAA/CA/IDM uploads documents on Portal (Schedule VI-Part 3) **02**

03 Initial Scrutiny of documents by CARA

DCPU uploads verification report along with Family Background Report (Schedule XXI) **04**

05 SARA re-verifies application & uploads it on Portal

CARA issues and uploads Pre-Approval Letter **06**

07 AFAA/CA/IDM uploads Documents as per Articles 5/17 of Hague Convention.

PAPs (through DCPU) files Adoption Application (Schedule IX Part-3 & Schedule XXXI) **08**

09 DM issues Adoption Order within 60 Days (Schedule XXXIII)

CARA issues NOC & Conformity Certificate **10**

11 Passport & Exit Visa for child



Reference: Regulation 56-60 of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA: Authorised Foreign Adoption Agency | CA: Central Authority | CARA: Central Adoption Resource Authority
DCPU: District Child Protection Unit | Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)
DM: District Magistrate | IDM: Indian Diplomatic Mission | NOC: No Objection Certificate | NRI: Non-Residents of India
OCI: Overseas Citizen of India | PAPs: Prospective Adoptive Parents | SARA: State Adoption Resource Agency

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>